

18-12-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी प्रदीप, मोनू, इन्द्रजीत सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले उप0।

आरोपी सोनू प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश नहीं की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले उप0।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को फरियादी अशोक उप0 हैं। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री तेजपाल तौमर द्वारा की गयी है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी अशोक उपस्थित है फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित गुप्ता के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित गुप्ता के न्यायालय में उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

सही/-

जे0एम0एफ0सी0, गोहद

पुनश्चः

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0

आरोपी प्रदीप, मोनू, इन्द्रजीत सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले उप0।

आरोपी सोनू प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश नहीं की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले उप0।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त। अभिलेख में संलग्न की गयी।

फरियादी अशोक उपस्थित हैं।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर

प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भा0द0स0 की धारा 323 स्वतः एवं भा0द0स0 की धारा 294, 341, 506 भाग दो न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी अशोक ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप हैं। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी प्रदीप, मोनू, इन्द्रजीत, सोनू को भा0द0स0 की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी सोनू की दोषमुक्ति की सूचना उसके अभिभाषक को दी गयी।

आरोपी प्रदीप, मोनू, इन्द्रजीत, सोनू पूर्व से जमानत पर है अतः आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में चार लकड़ी के डण्डे अपील अवधि पश्चात तोड़तोड़कर विनिष्ट किए जावे एवं अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद